न्यायालय उपखण्डअधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—स्वाति गुप्ता आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :—080/2022

अमरजीत सिंह पुत्र महेन्द्रराम जाति बाजीगर निवासी बारल मोहन तहसील गुरूहरसहाय जिला फिरोजपुर पंजाब।

—— प्रार्थी

बनाम

1. मंगलसिंह पुत्र महेन्द्रराम जाति बाजीगर निवासी बारल मोहन तहसील गुरूहरसहाय जिला फिरोजपुर पंजाब।
2. सुरजीत पुत्र महेन्द्रराम जाति बाजीगर निवासी बारल मोहन तहसील गुरूहरसहाय जिला फिरोजपुर पंजाब।
3. हरजीत पुत्र महेन्द्रराम जाति बाजीगर निवासी बारल मोहन तहसील गुरूहरसहाय जिला फिरोजपुर पंजाब।
4. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील जिला हनुमानगढ़।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अभिभाषकगण:—

1. श्री नरेन्द्रपाल वर्मा अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री अब्दुल सतार जोईया अधिवक्ता — अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक :— 30.8.2024

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त शीर्षक का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की माता के नाम से चक नंम्बर 1 एम.एस.टी. के खाता संख्या 17/13 में कुल 1.151 हैक्टर आराजी अनकमाण्ड व चक नंम्बर 2 एम.एस.टी.एस.एम. के खाता संख्या 9/7 में कुल 2.024 हैक्टर कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै0मु0 आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित जमाबन्दीयाँ संलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 आपस में सगे भाई है तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता महेन्द्रराम व माता जीतो देवी उर्फ वरीया देवी फौत हो चुके है जिसके जायज व कानूनी वारीसान रिकॉर्ड पर है। फोटो कॉपी मृत्यू प्रमाण पत्र संलग्न प्रार्थना पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:45:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र की दफा [illegible] खरीदशुदा आराजी है [illegible] जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 का जन्म [illegible] हक व हिस्सा बनता है [illegible] नम्बर 1 एम.एस.टी. के खाता संख्या 17/13 में कुल 1.151 हैक्टर आराजी अनकमा[illegible] चक नंम्बर 2 एम.एस.टी.एस.एम. के खाता संख्या 9/7 में कुल 2.024 हैक्टर कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै0मु0 आराजी में 0.794 हैक्टर आराजी का हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थी अपने हक व

Scanned with CamScanner

हिस्सा की 0.794 हैक्टर आराजी पर काबिज चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाता चला आ रहा है लेकिन उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की माता के नाम से दर्ज है तथा प्रार्थी के हिस्सा की आराजी प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन नही होने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व प्रार्थी अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेने, पानी की बारी अपने नाम करवाने तथा अन्य वितीय संस्थाओं से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहता है।इसलिए प्रार्थी घोषणा इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि जीतो देवी उर्फ वरीया देवी के नाम से दर्ज चक नम्बर 1 एम.एस.टी. के खाता संख्या 17/13 में कुल 1.151 हैक्टर आराजी अनकमाण्ड व चक नम्बर 2 एम.एस.टी. एस.एम. के खाता संख्या 9/7 में कुल 2.024 हैक्टर कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन आराजी में 0.794 हैक्टर आराजी का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकॉर्ड में अंकन करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

प्रार्थी के हक व हिस्सा की आराजी का खाता अप्रार्थीगण के साथ संयुक्त रहने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आपस में रकम राज जमा करवाने तथा काश्त के समय सीमा का विवाद बना रहता है इसलिए प्रार्थी अपने हक व हिस्सा 0.794 हैक्टर आराजी का खाता अच्छी मन्दी के अनुसार अलग से कायम करवाकर रकम राज अलग से कायम किया जाकर तदनुसार कब्जा प्रार्थी को दिलाया जावे।

प्रार्थनापत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी प्रार्थी की माता के नाम से दर्ज है प्रार्थी की माता फौत हो चुकी है अब अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 जो कि प्रार्थी की माता के नाम की आराजी में प्रार्थी के हक व हिस्सा को मारने की गर्ज से प्रार्थी के हिस्सा को हडप करने के आशय से तथा बिना नामान्तकरण करवाये उक्त भूमि को बैचान करने पर आमादा है तथा प्रतिवादीगण ऐलानियां धमकी दे रहे है कि हमने गॉव के किसी व्यक्ति से उक्त भूमि को औने पौने दामों में बैचान करने की बात भी कर ली है व उक्त भूमि में से अच्छी अच्छी भूमि दिगर व्यक्तियों को बैचान करके उक्त भूमि का कब्जा सौंप देगे, अगर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने उक्त भूमि रहन,बैय कर दिया व अच्छी अच्छी भूमि का कब्जा दिगर व्यक्तियों को सौंप दिया तो मुझ प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा व प्रार्थी को आइन्दा मुकदमा बाजी में उलझना पड़ेगा व प्रार्थी को खर्चे से जैरकार होना पडेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति, तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है ताईद मे हल्फामा प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जावे कि जीतो देवी उर्फ वरीया देवी के नाम से दर्ज चक नम्बर 1 एम.एस.टी. के खाता संख्या 17/13 में कुल 1.151 हैक्टर आराजी अनकमाण्ड व चक नम्बर 2 एम.एस.टी.एस.एम. के खाता संख्या 9/7 में कुल 2.024 हैक्टर कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन आराजी को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 किसी तरह से रहन,बैय व अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने व किसी विशिष्ट किलों का कब्जा दिगर व्यक्तियों को सौंपने व वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा करने से ताफैसला दावा ममनू व बाज रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:45:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया प्रस्तुत कागजात का अवलोकन किया गया प्राथमिक दृष्टि से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया गया कि चक 1 एम.एस.टी.एस.एम. खाता संख्या 17/13 व ग्राम 2 एम.एस.टी.-एस.एम. खाता संख्या 9/7 में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज आराजी को अप्रार्थीगण रहन, बैय अंतरित न करें।

अप्रार्थीगण को जरिऐ रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र की दफा 1 में दर्ज तथ्य अनवान सदर का मुकदमा माननीय न्यायालय में पेश होने का कथन स्वीकार है लेकिन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश होने के कारण प्रथम दृष्टया काबिल खारीजी के है।

प्रार्थना पत्र की दफा 2 में प्रार्थी व हम अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की माता के नाम से चक नम्बर 1 एम.एस.टी. के खाता संख्या 17/13 में कुल 1.151 हैक्टर आराजी अनकमाण्ड व चक नम्बर 2 एम.एस.टी.एस.एम. के खाता संख्या 9/7 में कुल 2.024 हैक्टर कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होना स्वीकार है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी प्रार्थी की माता की खरीदशुदा आराजी है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 का जन्म से हक व हिस्सा बनता है, स्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पर बहिस्सा बराबर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाते चले आ रहे है। हम अप्रार्थीगण की माता के नाम से दर्ज आराजी का विरास्तन नामान्तकरण प्रार्थी व हम अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में बहिस्सा बराबर किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम से बहिस्सा बराबर अंकन कर चक नम्बर 1 एम.एस.टी. के खाता संख्या 17/13 व चक नंम्बर 2 एम.एस.टी.एस. एम. के खाता संख्या 9/7 में से जीतो देवी उर्फ वरीया देवी का नाम कलमजन किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उज्र व ऐतराज नही है।

वर्तमान मे आराजी हम अप्रार्थीगण की माता के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है तथा हमारी माता का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी मे प्रार्थी व हम अप्रार्थीगण का बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा बनता है। उक्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से ब0हि0ब0 अंकन कर खाता तकसीम किया जावे।

प्रार्थना पत्र की दफा 6 में दर्ज तथ्य कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी प्रार्थी की माता के नाम से दर्ज है प्रार्थी की माता फौत हो चुकी है स्वीकार है। प्रार्थी द्वारा यह कतई गलत अंकित किया गया है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 जो कि प्रार्थी की माता के नाम की आराजी में प्रार्थी के हक व हिस्से को ... से प्रार्थी के हिस्सा को हड़प करने के आशय से तथा बिना नामान्तकरण करवाये उक्त भूमि को बैचान करने पर आमादा है। हम अप्रार्थीगण की माता के नाम से दर्ज आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 का बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा बनता है तथा हम माता के नाम से प्रार्थना पत्र की दफा 2 में अंकित आराजी प्रार्थी व हम अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से बहिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:45:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बराबर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने को तैयार है लेकिन प्रार्थी द्वारा जान बुझ कर विरासतन नामान्तकरण दर्ज न करवाने के लिए हम अप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है। हम अप्रार्थीगण द्वारा कोई भूमि बैचान नही की जा रही है तथा हम अप्रार्थीगण अगर अपनी भूमि बैचान करना चाहे तो अपने हिस्सा की भूमि को बैचान करने के लिए स्वतन्त्र है। प्रार्थी ने हम अप्रार्थीगण को जान बुझ कर तंग व परेशान करने की गर्ज से गलत तथ्यों के आधार पर स्थगन आदेश प्राप्त किया है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे ना होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया कबिल खारीजी के है। ताईद मे हल्फनामा प्रस्तुत है।

अतः जबाब प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई दौराने बहस प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी प्रार्थी की माता की खरीदशुदा आराजी है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थी अपने हक व हिस्सा की 0.794 हैक्टर आराजी पर काबिज चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकमराज जमा करवाता चला आ रहा है इसलिए प्रार्थी अपने हक व हिस्सा 0.794 हैक्टर आराजी का खाता अच्छी मन्दी के अनुसार अलग से कायम करवाकर रकम राज अलग से कायम किया जाकर तदनुसार कब्जा प्रार्थी को दिलाया जावे। चूंकि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा इकरारनामा दिनांक 14.05.2023 की प्रतिलिपि पेश कर कथन किया कि अप्रार्थीगण खाता विभाजन करवाने से पूर्व प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी दौराने स्थगन आदेश कृषि भूमि का बेचान कर दिया है। ऐसी स्थिति अप्रार्थीगण सदभावी नहीं है। अतः प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जावे कि जीतो देवी उर्फ वरीया देवी के नाम से दर्ज प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 किसी तरह से रहन, बैय व अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने बाबत प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक जीतो देवी उर्फ वरीया देवी के नाम से विवादित आराजी पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे।

अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा दौरानें बहस अपनें जबाब प्रार्थनापत्र को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने अदालतहाजा के समक्ष गलत तथ्य पेश कर दिनांक 30.08 2022 को एकपक्षीय स्थगन आदेश हासिल किया कि प्रार्थनापत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी प्रार्थी की माता के नाम से दर्ज है अप्रार्थीगण की माता फौत हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा यह कतई गलत अंकित किया गया है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 जो कि प्रार्थी की माता के नाम की आराजी में प्रार्थी के हक व हिस्सा की ... प्रार्थी के हिस्सा को हड़प करने के आशय से तथा बिना नामान्तकरण करवाये उक्त भूमि को बैचान करने पर आमादा है। हम अप्रार्थीगण की माता के नाम से दर्ज आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 का बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा बनता है तथा हम माता के नाम से प्रार्थना पत्र की दफा 2 में अंकित आराजी प्रार्थी व हम अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से बहिस्सा बराबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:45:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने की नियत से अंकित प्रार्थी द्वारा जान बूझ कर विरासतन नामान्तरकरण दर्ज न करवाने के लिए इन अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है। इन अप्रार्थीगण द्वारा कोई भूमि बेचान नहीं की जा रही है तथा इन अप्रार्थीगण अगर अपनी भूमि बेचान करना चाहे तो अपने हिस्सा की भूमि को बेचान करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी ने इन अप्रार्थीगण को जान बूझ कर तंग व परेशान करने की गर्ज से गलत तथ्यों के आधार पर स्थगन आदेश प्राप्त किया है प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति, प्रार्थी के पक्ष में न होकर इन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई स्थगन नहीं दिया जा सकता है।अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की समायत बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया मूलवाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.ए. विभाजन हेतु वाद विचाराधीन है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 30.08.2022 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी अमरजीत के 0.794 हैक्टर हिस्सा तक, जिसके लिये मूलवाद संख्या 408/2022 अनवान अमरजीत सिंह बनाम मंगलसिंह के अन्तिम निर्णय तक स्थाई **(Confirm)** किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है, कि चक नम्बर 1 एम.एस. टी. के खाता संख्या 17/13 व चक नम्बर 2 एम.एस.टी.एस.एम. के खाता संख्या 9/7 में से जीतो देवी उर्फ वरीया देवी के नाम की विवादग्रस्त भूमि को किसी प्रकार से रहन बेय व मुन्तकिल से निषिद्ध रहे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:45:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner